न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर
प्रकरण संख्या :– 16/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00031)
व उनवानी प्रकरण :–

1. जगन्नाथ पुत्र मूंगाराम जाति कुशवाह निवासी फूलपुरा थाना सैपऊ जिला धौलपुर ——— .प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर ——— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से :– प्रार्थी स्वयं।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 30.10.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री जगन्नाथ पुत्र मूंगाराम जाति कुशवाह निवासी फूलपुरा पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 02/1992 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 19.12.2016 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 240 दिनांक 10.01.2017 व 1300 दिनांक 17.05.2017 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/1992 दिनांक 3.7.2017 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

उक्त आदेश दिनांक 03.07.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.03.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 03.072017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 08.03.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ । अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में दिनांक 13.05.2019, दिनांक 19.06.2019, दिनांक 26.6.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सैपऊ मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त सैपऊ (धौलपुर ग्रामीण) से जांच कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध मु0 नं0 76/2000 धारा 147, 323, 341, 336, 325 भा0द0स0 चार्जशीट नम्बर 65 दिनांक 20.06.2000 में माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 साहब धौलपुर द्वारा दिनांक 30.06.2004 को अभियुक्त जगन्नाथ को धारा 147, 341, 323 ता0 हि0 में दोषी करार दिया गया। परन्तु अभियुक्त को परिवीक्षा अधि0 धारा 4 के अन्तर्गत एक साल के लिए सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा किया गया। मु0 नं0 265/94 धारा 13 आर0 पी0 जी0 ऑ0 चार्जशीट नम्बर 183 दिनांक 31.01.1994 धारा 13 में माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 धौलपुर द्वारा दिनांक 20.01.1999 को 50/– रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। शस्त्र दिनांक 12.03.2017 के पुलिस थाना सैपऊ में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। रिपोर्ट में विरोधाभास होने के कारण पत्र दिनांक 07.08.2019, दिनांक 05.09.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पुनः टिप्पणी चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने उक्त विरोधाभास के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना सैपऊ से रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रेसित की । मुताविक रिपोर्ट प्रार्थी के विरूद्ध मु0 नं0 76/2000 धारा 147, 323, 341, 336, 325 भा0द0स0 चार्जशीट नम्बर 65 दिनांक 20.06.2000 में माननीय न्यायालय एम0जे0एम0 धौलपुर द्वारा दिनांक 30.06.2004 को अभियुक्त जगन्नाथ को धारा 147, 341, 323 ता0 हि0 में दोषी करार दिया गया। परन्तु अभियुक्त को परिवीक्षा अधि0 धारा 4 के अन्तर्गत एक साल के लिए सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा किया गया। मु0 नं0 265/94 धारा 13 आर0 पी0 जी0 ऑ0 चार्जशीट नम्बर 183 दिनांक 31.01.1994 धारा में माननीय न्यायालय एम0 जे0 एम0 धौलपुर द्वारा दिनांक 20.01.1999 को 50/– रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रार्थी की उम्र 66 वर्ष है, प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरणों के बाद कोई भी प्रकरण दर्ज न होने के कारण चाल चलन अच्छा बताया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 2/1992 को समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से

(आर0 के0 ...)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में मु0 नम्बर
76/2000 अन्तर्गत धारा 147, 323.341, 336, 325 आई0 पी0 सी0 एवं मुकदमा नम्बर
265/94 धारा 13 आर. पी. जी. ओ. का हवाला दिया गया है उक्त प्रकरणों का वर्ष 2004
एवं 1999 में निस्तारण हो चुका है। वर्ष 1999 एवं 2004 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा
पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता आ रहा है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में
नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। जिला
पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा
शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है । प्रार्थी का चाल चलन अच्छा रहा है। शस्त्र
दिनांक 12.3.2017 से पुलिस थाना सैपऊ में जमा है। प्रार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त
करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी एक
सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र
थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1992 को नवीनीकरण किये जाने के
आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि
प्रार्थी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना सैपऊ में दो मुकदमें दर्ज हुऐ
है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर
कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर
लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की
संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही
गलत नहीं है। आदेश दिनांक 3.7.2017 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया
गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप कल आवश्यकता नहीं
है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध
रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा
पत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक
धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के
अनुसार प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में
थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। प्रार्थी का शस्त्र
दिनांक 12.3.2017 से थाने में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में
प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 65/2000 दर्ज बताया है जिका निस्तारण दिनांक
30.6.2004 को गया है जिसमें प्रार्थी को दोषी करार दिया गया है । मुकदमा नम्बर
265/94 दर्ज होना भी अंकित किया है। जिसका निस्तारण दिनांक 20.1.199 को हो चुका
है। उक्त दोनों प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में ही हो चुका है। वर्ष 1999 एवं 2004 के
पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमित रूप से नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष
2000 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। इस प्रकार जिला पुलिस
अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करना एवं

(आर0 के0 [illegible]सवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

नवीनीकरण रोका जाना न्यायाचित नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्री जगन्नाथ पुत्र मूंगाराम जाति लोधा निवासी फूलपुरा पुलिस थाना सैपऊ जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 2/1992 को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 1985–89 दिनांक 03.07.2017 निरस्त किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 02/92 को दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(राकेश कुमार अग्रवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर